न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 172/2018 दायरा दिनांक : 01.11.2018

उनवान

1– रामकिशन पुत्र बूचीलाल, जाति रेगर, निवासी मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2– कालूराम पुत्र बूचीलाल, जाति रेगर, निवासी मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री बी एल जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

पैरोकार सरकार रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 25.01.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या – 70/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 05.03.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय एवं डिक्री जारी की है वह पत्रावली की आदेशिका दिनांक 05.03.2018 के विरूद्ध है । चूंकि दिनांक 05.03.2018 के आदेश में अधीनस्थ न्यायालय ने स्पष्ट लिखा है कि तहसीलदार, मांगरोल की रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थी की आराजी के समीपस्त खसरा नम्बर 4373 रकबा 1.72 हेक्टर में रकबा गत के मुकाबले बढ़ा हुआ अंकित किया है । अतः ग्राम मांगरोल की आराजी खसरा नम्बर 4373 रकबा 1.72 हेक्टर में से 0.31 हेक्टर कमी कर प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 4379 रकबा 0.43 हेक्टर में बढ़ाकर रकबा 0.74 हेक्टर दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये । उपरोक्त आदेश के मुताबिक निर्णय नहीं लिखा गया एवं पृथक से जो निर्णय जारी किया गया है उसमें प्रार्थी का दावा खारिज किया गया । उक्तानुसार डिक्री भी खारिज कर दी गई, जिससे व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी द्वारा दिनांक 20.07.2018 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 दीवानी प्रक्रिया संहिता का पेश किया गया, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे भी खारिज कर दिया गया । ततपश्चात दिनांक 19.07.2018 को अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर उपरोक्त तथ्य की जानकारी हुई । अतः अपील मियाद अन्दर मानते हुए अपील स्वीकार फरमायी जाये एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री खारिज फरमायी जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 10.07.2018 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजों एवं रेकार्ड के अनुसार अपीलांट बूचीलाल पुत्र ग्यारसा की भूमि साबिक खसरा नम्बर 2579 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा जमाबंदी सम्वत 2034–37 में सैटलमेंट से पूर्व दर्ज है । बाद सैटलमेंट हाल खसरा नम्बर 4379 में उपरोक्त आराजी 0.43 हेक्टर दर्ज कर दी गई, जबकि 4 बीघा 12 के लगभग 0.47 हेक्टर बनता है । पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर नये पुराने रेकार्ड का मिलान करने पर खसरा नम्बर 4373 का रकबा 0.42 हेक्टर दर्ज है जबकि पूर्व में यह जिस खसरा नम्बर से बना है वह 2733 मिन रकबा 5 बीघा था । इस प्रकार उपरोक्त रकबा अधिक दर्ज है इसी प्रकार एक अन्य खसरा नम्बर 4373 जो उपरोक्त खसरा नम्बर 4379 के नजदीकी है गै. मु. रास्ता दर्ज है एवं काबिज काश्त है । अतः पटवारी के द्वारा उपरोक्त कमी बेशी की पूर्ति खसरा नम्बर 4373 से किये जाने की सिफारिश की गई है । दस्तावेजी साक्ष्य एवं पटवारी की रिपोर्ट एवं नक्शे के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने भी इसको प्रमाणित माना है जिसका उल्लेख उनके द्वारा अपनी आदेशिका में भी किया गया है । परन्तु फैसला जारी करते समय उक्त जमीन गैर मुमकिन रास्ता है एवं रास्ते की किस्म परिवर्तित नहीं की जा सकती जो कि माननीय राजस्व मण्डल एवं उच्च न्यायालय के आदेश अब्दुल रहमान बनाम सरकार से बाधित है इसलिए वादी का उपरोक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाये । उपरोक्त दस्तावेज एवं तथ्यों के अनुसार अब्दुल रहमान बनाम सरकार में निर्णय यह प्रतिपादित किया गया था कि सम्वत 2012 के अनुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमियां जैसे तलाई, नाला, रास्ता इत्यादि को उनके मूलस्वरूप में रखा जावे एवं यदि उस पर किसी को आवंटन अथवा खातेदारी अधिकार दर्ज किये गये हो तो मौके की वस्तुस्थिति की जांच करते हुए उनका रेफरेन्स इत्यादि पेश किया जावे । उक्त प्रार्थना पत्र में जो दस्तावेजी तथ्य सामने आये हैं उसके अनुसार उपरोक्त भूमि जो गैर मुमकिन रास्ता खसरा

नम्बर 4373 रकबा 1.42 हेक्टर दर्ज है वो सैटलमेंट से पूर्व खसरा नम्बर में दर्ज रकबा 5 बीघा से अधिक है ।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर उक्त आराजी के सम्बन्ध में इन प्रश्नों का निर्णय किया जाना आवश्यक है कि :–

(1) सैटलमेंट द्वारा कब व किस आधार पर किस्म परिवर्तन किया गया एवं वर्तमान में रास्ते में दर्ज रकबा किस उपयोग में आ रहा है ।

(2) क्या अपीलांट को उपरोक्त विवादित आराजी का आवंटन हुआ था यदि हॉ तो गैरखातेदारी से खातेदारी दर्ज करते समय मौका स्थिति अथवा अन्य किसी कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत अपीलांट का रकबा कम तो दर्ज नहीं किया गया है ।

(3) क्रमबद्ध रिकार्ड की जॉच रिपोर्ट तहसीलदार के मार्फत प्राप्त करें । क्या गै. मु. रास्ते का आवंटन किया जा सकता है ।

(4) क्या अपीलांट द्वारा पूर्व में भी कोई दावा अथवा कानूनी कार्यवाही इस सम्बन्ध में की गई है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.03.2018 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उक्त बिन्दुओं पर तहसीलदार के मार्फत रिकार्ड की गहन जांच करवाए कि किन आधारों पर प्रार्थी के रकबे में कमी बेशी हुई है एवं रास्ते में किस प्रकार से रकबा बढ़ा क्योंकि इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं इसलिए समस्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं

रेकार्ड पर तहसीलदार द्वारा जांच करवाये तथा अपीलांट को भी पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान करें एवं पुनः तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त करते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.04.2019 को उपस्थित होवें । भविष्य में इस सम्बन्ध में ध्यान रखें कि आदेशिका व आदेश में किसी भी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए ।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा